न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 87 / 2021

प्रार्थीगण :–

1. सालू पुत्र भोमा
2. धना पुत्र भोमा
3. निम्बा पुत्र भोमा
4. सामा पुत्र भोमा
5. दरगा पुत्र भोमा
6. जेरूपा पुत्र हिन्दू
7. भूरी बेवा हिन्दू

जाति माली निवासी मालियों की ढाणी, नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. वाताराम पुत्र प्रेमाराम
2. उदाराम पुत्र प्रेमाराम
3. तेजपुरी पुत्र सूरजपुरी
4. रतनपुरी पुत्र खुशालपुरी
5. देवपुरी पुत्र सुरजपुरी
6. नरीगा पुत्र जोधाराम
7. भूपा पुत्र दीपाराम
8. जगदीश पुत्र दीपाराम
9. रूगनाथ पुत्र वीरमाराम
10. खुशाला पुत्र जोधाराम
11. मारना पुत्र तेजा
12. ममाजला पुत्र केवला
13. छोगा पुत्र केवला
14. भागाराम पुत्र केवला
15. दरगाराम पुत्र केवला
16. गजाराम पुत्र उदाराम
17. भगाराम पुत्र उदाराम
18. झनुराम पुत्र उदाराम

जाति माली निवासी मालियों की ढाणी, नगर तहसील गुडामालानी

19. ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) जोधपुर
20. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित –

1. श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. अप्रार्थीगण – अनुपस्थित

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:11 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक ...01/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेरखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये

(signature)

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072–2075 सरहद मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 664 रकबा 26–15 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमवन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मालियों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 664 रकबा 26–15 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12/1/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:11 IST
Reason: SelfAttested

वाद / 2022 / 38

प्रार्थीगण

स्वारू कौरा

बनाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

दिनांक : 13/1/22

विप्रार्थीगण

वालाराम कौरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 07/2021

निर्णय दिनांक :– 12/01/2022

—:: आदेश ::—

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम मालियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 664 रकबा 26-15 बीघा खसरा नम्बर — रकबा — खसरा नम्बर — रकबा — खसरा नम्बर — रकबा — एवं खसरा नम्बर — रकबा — की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुडामालानी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये 500/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

क्रमांकः वाद / 2022 / 39-41
प्रतिलिपि :

दिनांक : 13/1/22

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी RGT
3. हल्का पटवारी नगर को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी स्वारू कौरा
5. विप्रार्थी वालाराम कौरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी